न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 244/2013

उनवान

1 हीरालाल पिता मिश्रीलाल लखारा , निवासी आगुँचा तहसील हुरडा ।

–वादी

बनाम

1 गोपाल दतक पुत्र छीतर (प्राकृतिक पिता मिश्रीलाल) लखारा, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
2 रामपाल दतक पुत्र जेठमल (प्राकृतिक पिता मिश्रीलाल) लखारा निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
3 कमला पुत्री मिश्रीलाल पत्नि उदयलाल लखारा, निवासी लादवास तहसील माण्डल
4 सोहनी पुत्री छीतर पत्नि मोहनलाल लखारा मृतक के स्थान पर
4/1 रतनलाल पिता मोहनलाल लखारा, निवासी सथाना
4/2 तारा पत्नि कैलाश लखारा, निवासी बडली तहसील भिनाय
5 गोविन्द पुत्र शिवदयाल जायसवाल, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा।
6 उदयराम पिता श्रीराम गुर्जर, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
7 रामकुँवार पिता श्रीराम गुर्जर, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री रतनलाल वैष्णव वकील वादी ।
श्री मोहम्मद निशार वकील प्रतिवादी सं– संख्या– 1, 6, 7

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया है कि वाके ग्राम भगवानपुरा , आगुँचा तहसील हुरडा की आराज खसरा नम्बर– 5553/6123 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा लगानी 12.16 रुपये की मिश्री लाल पिता हजारीमल के कब्जेकाश्त की होकर खातेदारी से दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

2– स्वर्गीय मिश्रीलाल के तीन पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल, प्रतिवादी संख्या– 2 रामपाल, एवं एक पुत्री प्रतिवादी संख्या–3 कमला

Scanned by CamScanner

हुये है जिसमें से गोपाल प्रतिवादी संख्या– 1 मुस्मात भूरी बेवा छीतर के गोद चला गया एवं रामपाल प्रतिवादी– 2 जेठमल के गोद चला गया जिसके बाद स्वर्गीय मिश्रीलाल के केवल मात्र वारिश वादी हीरा लाल पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या–3 कमला पुत्री रहे है ।

3– प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल एव प्रतिवादी संख्या–2 रामलाल को गोद देने लेने की कानूनी एवंत माम सामाजिक रस्म रिवाज के अनुसार सन् 1962 में स्व0 मिश्रीलाल एवं उनकी पत्नि रामप्यारी के द्वारा गोद देने की रस्म की जाकर प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल को श्रीमति भूरी के जाईन्दा औलाद नही होने से दिया गया (गोद देने की रस्म मिश्रीलाल एवं रामप्यारी के द्वारा की गई एवं लेने की रस्म श्रीमति भूरी के द्वारा की गई क्योंकि श्रीमति भूरी के पति छीतर का स्वर्गवास पूर्व में ही हो गया था) एवं प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल को जेठमल के सन्तान नही होने से जेठमल को गोद लिया गया । गोद देने की रस्म मिश्रीलाल एवं उनकी पत्नि रामप्यारी के द्वारा की गई एवं लेने की रस्म जेठमल के द्वारा की गई क्योंकि जेठमल की पत्नि जेठमल के जीते जी बहुत अरसे पूर्व ही नाते चली गई तथा जेठमल ने दूसरी शादी नही की थी । इस प्रकार से सभी तरह की गोद लेने देने की रस्म एवं सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार जाति समाज एवं गॉव वालों के सम्मुख गोद की प्रकिया की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल को श्रीमति भूरी पत्नि छीतर लखारा एवं प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल को जेठमल लखारा के गोद लिया गया एवं गोद लेने देने की प्रक्रिया के बाद प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल को दतक पुत्र छीतर के नाम से एवं प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल को दतक पुत्र जेठमल लखारा के नाम से जाति समाज चौखले व गांव में जाना चहचाना जाता रहा है ।

4– गोद लिये जाने के बाद प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल का लालन पालन शादी/ब्याह गोदमाता श्रीमति भूरी के द्वारा किया गया है एवं श्रीमति भूरी की सेवा श्रृता भूरी के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल के द्वारा ही की गई । भूरी के मृत्यु उपरान्त मृत्यु सम्बन्धी तमाम सामाजिक एवं धार्मिक कियाकर्म रस्म भी प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल के द्वारा ही किया गया है । श्रीमति भूरी के स्वर्गवास के बाद उसकी चल एव अचल सम्पती का वारिस भी प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल की होकर श्रीमति भूरी के घर गुवाडी कृषि भूमि का हकदार हुआ एवं चल अचल सम्पति पर काबिज हुआ । श्रीमति भूरी की कृषि भूमि ग्राम आगुॅचा खसरा नम्बर– 2350 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा , 2354 रकबा 10 बिस्वा जिसमें भूरी का हिस्सा 1/2 था विरासत से वारिस होकर भूमि राजस्व रिकार्ड एवं खतौनी जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या– 2079 दिनांक 25.10.1988 से अंकन होकर दर्ज रिकार्ड हुई है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

5– इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल का लालन पालन, शादी/व्याह गोद लेने के बाद दतक पिता जेठमल के द्वारा ही किया गया एवं जेठमल की सेवा सुश्रुषा भी प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल के द्वारा ही की गई एवं जेठमल के स्वर्गवास के बाद तमाम धार्मिक एवं सामाजिक कियाकर्म भी रामपाल के द्वारा ही किये गयें । जेठमल की मृत्यु के बाद उसकी तमाम चल अचल सम्पति घर, गुवाडी, मकान,

Scanned by CamScanner

जायदाद, कृषि भूमि का वारिस प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल ही हुआ एवं आगुँचा की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर– 5128 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर– 5161 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 06 बिस्वा 02 बिस्वा एवं गैर मुमकीन चाह हकदार होकर राजस्व रेकार्ड में खेवट खतौनी जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या– 3000 दिनांक 04.05.1993 से अंकित होकर दर्ज रिकार्ड हुई है।

6– प्रतिवादी संख्या– 1 गोपाल श्रीमति भूरी के गोद जाने के बाद दतक पुत्र छीतर कहलाया एवं प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल दतक पुत्र जेठमल कहलाया एवं दतक माता पिता की तमाम दायदाद के वारिश एवं हकदार हुये है एवं उनका प्राकृतिक पिता मिश्रीलाल की जायदाद चल अचल सम्पति में किसी प्रकार का लेना देना नही रहा ।

7 प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल ने भूरी से प्राप्त कृषि भूमि को हजारी पुत्र धूला माली को विकय कर दी एवं हजारी पुत्र धूला माली के द्वारा भी उदयराम, रामकुँवार पिता श्रीराम गुर्जर प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 को विकय कर दी गई मौजूदा समय में आराजी पर उदयराम व रामकुँवार प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 काबिज काश्त होकर रेकार्डडेड खातेदार है।

8 प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल के द्वारा कृषि भूमि अपने दतक माता पिता की विकय कर देने से उसके मन में बदनियति आ जाने से प्राकृतिक पिता मिश्रीलाल की कृषि भूमि को हडपने की मंशा रखते हुये आराजी जैर बहस पेरा संख्या–1 में अंकित कर कब्जा करना एवं हिस्सा लेना चाहता है । इस कारण से आये दिन गैर बेजा हरकत करके आराजी जैर बहस को हडपना चाहता है एवं पटवारी हल्का से मिलकर मिश्रीलाल की कृषि भूमि का नामान्तकरण भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 के नाम पर खुलवाने नही दे रहा है ।

9 प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल ने बदनियति से आराजी जैर बहस पर किसी तरह का हक/अधिकार नही होते हुये भी आराजी जैर बहस पर कब्जा करने की बदनियति से काश्त हेतु प्रतिवादी संख्या–5 गोविन्द को सिजारा/सीर में दे दी जिससे प्रतिवादी संख्या– 5 गोविद ट्रेक्टर लेकर आराजी जैर बहस की जुताई/ बुवाई करने को आराजी जैर बहस पर दिनांक 15.06.2013 को आ गया एवं प्रतिवादी संख्या– 5 गोविन्द के द्वारा आराजी जैर बहस पर काश्त करने/जुताई करने का असफल प्रयास किया जिसको वादी एवं वादी के घर वालो ने एवं आस पास के खेत वाले व्यक्तियों ने समझा बुझाकर प्रतिवादी संख्या– 5 गोविन्द को खेत को नही जोतने दिया एवं आराजी जैर बहस से वापस प्रतिवादी संख्या– 5 गोवन्दि को भिजवा दिया गया

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

10 प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल, प्रतिवादी संख्या– 5 गोविन्द से मिलकर आराजी जैर बहस को हडपने की नियत से आये दिन वादी एवं वादी के परिवार वालो से लडाई झगडा करने पर उतारु है एवं वादी व गॉव वालों के समझाने पर भी समझने के लिये तैयार नही है । प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या– 1 गोपाल एवं प्रतिवादी संख्या–5 गोविन्द ऐलानियां धमकियां वादी एवं वादी के परिवार वालो को दे रहे है कि वे आराजी जैर बहस पर वादी के द्वारा बोई गई फसल को नष्ट कर दुबारा फसल बोकर आराजी जैर बहस पर कब्जा कर लेंगे जिससे प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल एवं प्रतिवादी संख्या–5 गोविन्द को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है ।

11 प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल प्रतिवादी संख्या–5 गोविन्द आये दिन वादी के हक हकूक अधिकार व कब्जेकाश्त की आराजी जैर बहस कृषि भूमि पर आकर लडाई झगडा करने वादी के द्वारा की गई काश्त की फसल से वादी को महरुम रखने की कोशिश करते रह रहे है जो बिना अधिकार से है जिससे स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल व प्रतिवादी संख्या–5 गोविन्द को रोका जाना नितान्त आवश्यक है यदि प्रतिवादी संख्या– 1 गोपाल व प्रतिवादी संख्या– 5 गोविन्द को उक्त अवैध कृत्य से नही रोका गया तो वादी अपने कब्जेकाश्त हक हकूक ही आराजी जैर बहस से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को असहनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति कभी भी सम्भव नही होगी ।

12 प्रतिवादी संख्या– 6 उदयराम, प्रतिवादी संख्या– 7 रामकुँवार के पास विक्रय से आराजी खसरा नम्बर– 2350, 2354 कब्जेकाश्त में होने से एवं प्रतिवादी संख्या– 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, हुरडा को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है ।

13 वादी का बिनाय मुखास्मत दिनांक 15.06.2013 से प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 5 गोविन्द को आराजी जैर बहस को सिजार/सिर देने की बात कहकर आराजी जैर बहस की जुताई करने के असफल प्रयास के दिन से एवं प्रतिवादी संख्या– 1 गोपाल व प्रतिवादी संख्या–5 गोविन्द के द्वारा ऐलानिया धमकी आराजी जैर बहस पर कब्जा करने की देने से पैदा होकर आज दिन तक निरन्तर जारी है ।

14 अन्त में कथन किया कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम भगवानपुरा आगुँचा तहसील हुरडा की खसरा नम्बर– 5553/6123 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा से प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 का नाम अधिकार हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी के लिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 3 कमला को खातेदार घोषित फरमाया जावें । बहक वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 कमला के खिलाफ प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल एवं प्रतिवादी संख्या– 5 गोविन्द स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि वो स्वयं या अन्य द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 के हिस्से कब्जे काश्त आराजी जैर बहस में नाजायज तौर से हस्तक्षेप करने व उक्त आराजीयात खसरा नम्बर– 5553/6123 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा को दिगर को अन्तरित व उसका पंजीयन करने कराने से रुके रहे यदि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या–1 व 5 इसमें सफल हो जावें तो पुनः उनके खर्चे से आज की स्थिति रेस्टोर कराई जावें ।

सहायक कलेक्टर (एस. डी. ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

15 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ईकबालिया जवाबदावा दिनांक 24.09.2013 को प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 1 6 7 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 10.06.2014 को जवाबदावा प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मिश्री लाल की जायदाद में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का वादी के साथ बराबर–बराबर हक हिस्सा निहित होकर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिजकाश्त चजे आ रहे है । मिश्रीलाल की आराजी में प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 का हिस्सा है इस बावत स्वयं वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के हक में दिनांक 17.10.1988 को चौपनियॉ बही में अपने लिखतम कर उसके द्वारा हस्ताक्षकर किये है । वादी ने प्रतिवादी नम्बर–1 को जलील व परेशान करने तथा मिश्रीलाल की जायदाद को हडपने के लिये उक्त वादपत्र पेश किया गया है । अन्त में अंकित किया कि वादी का वाद मय हजें खर्चे से खारिज फरमाया जावें । प्रतिवादी संख्या–4 ने दिनांक 21.01.2014 को अपने ईकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या–5 की और से उनके अधिवक्ता श्रीमति निर्मला जैन के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया किन्तु जवाबदावा हेतु समूचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नही किये जाने से प्रतिवादी संख्या– 5 की जवाबदेही स्टेज दिनांक 10.06.2014 को बन्द की गई । प्रतिवादी संख्या– 8 के पैरोकारराज का पद रिक्त होने से जबावदावा पेश नही हुआ ।

16 प्रकरण में वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर दिनांक 01.08.2016 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नं.– 1	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात मिश्रीलाल पिता हजारीमल के कब्जेकाश्त की थी ।	– वादी
तनकी नं.– 2	आया खोतदार मिश्रीलाल के हीरालाल, गोपाल, रामपाल, पुत्र व कमला पुत्री हुये ।	– वादी
तनकी नं.– 3	आया खातेदार मिश्रीलाल के पुत्र गोपाल, भूरी के गोद चले जाने व रामपाल, जेठमल के गोद चले जाने से मिश्रीलाल की सम्पति में उनका हक अधिकार नही रहा ।	– वादी
तनकी नं.– 4	आया आराजी मुतदाविया पर वादी व प्रतिवादी नम्बर– 03 का कब्जा काश्त होने से वादी व प्रतिवादी नम्बर– 03 कमला हक घोषणा करवाने के अधिकारी है ।	– वादी
तनकी नं.– 5	आया वादी वादपत्र की कलम नम्बर– 09, 10, 11 में वर्णित कारणों से प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.– 6	आया वादी ने मिश्रीलाल की आराजीयात को अकेले हडपने के लिये गोपाल व रामपाल को गोद जाना बताया जो गलत है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.– 7	टाया जवाबदार, मिश्रीलाल की जायदाद पर प्रतिवादी 01 व 02 का वादी के साथ बराबर बराबर हक हिस्सा निहित होकर सभी अपने अपने	–प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

	हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है ।	
तनकी नं.– 8	आया जवाबदार, जवाबदावा की कलम नम्बर– 23 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्रतिवादी
तनकी नं.– 9	अनुतोष ।	

17 वादी के द्वारा अपने वाद पत्र की ताहीद में पी.डब्लू.–1 हीरालाल, पी. डब्लू.–2 राधेश्याम, पी.डब्लू.– 3, रामलाल ब्राह्मण के बयान करवाये गये । दस्तावेजी साक्ष्य में जमावन्दी सम्वत् 2068–2071 ई.एक्स.पी.–1 जमाबन्दी सम्वत् 2049–2052 ई.एक्स.पी.–2, जमाबन्दी सम्वत् 2049–2052 ई.एक्स.पी.–3, जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 ई.एक्स.पी. –4, नामान्तकरण ई.एक्स.पी. – 5, नामान्तकरण ई.एक्स.पी–6 , नामान्तकरण ई.एक्स.पी–7 को प्रदर्श करवाया गया । वकील वादी के द्वारा और साक्ष्य पेश करना चाहने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में निहित की गई ।

18 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुँचा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया मिश्रीलाल पिता हजारी लखारा के खातेदारी की आराजीयात है। मिश्रीलाल के तीन पुत्र कमशः हीरालाल, गोपाल, रामपाल तथा एक पुत्री कमला है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल मुस्मात भूरी बेवा छीतर तथा प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल जेठमल लखारा के गोद चले गये है। अब मिश्रीलाल के केवल मात्र वादी हीरालाल व प्रतिवादी संख्या–3 कमला वारिस रहे है। वकील वादी का बहस में आगे यह भी कथन था कि प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल , प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल, गोद चले जाने से मिश्रीलाल की सम्पति में उनका कोई हक अधिकार नही रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल भूरी के गोद चले जाने से भूरी की विरासत से उसके हक खातेदारी की भूमि गोपाल के नाम दर्ज हो चूकी है । प्रतिवादी संख्या–2 रामपाल जेठमल के गोद चले जाने से जेठमल की विरासत का खाता रामपाल के नाम दर्ज हो चूका है। गोपाल व रामपाल का मिश्रीलाल की सम्पति में कोई हक अधिकार नही होते हुये भी उनके द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या–3 कमला के हक हिस्से की आराजीयात में आये दिन दखंलन्दाजी की जाती है। तथा मिश्रीलाल की विरासत से खाता खोलने में उनके द्वारा व्यवधान उनके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें तथा मिश्रीलाल की भूमि के लिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 3 को खातेदार घोपित फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

19 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादी के द्वारा झूठे व बनावटी कथनों के आधार पर दावा पेश किया गया है। तथा मिश्रीलाल की आराजीयात को अकेले हडप करने के लिये दोनो भाईयों को गोद जाना बताया है जो गलत है। मिश्रीलाल की जायदाद में

Scanned by CamScanner

वादी के साथ प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 का भी समान हक हिस्सा निहित है तथा सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन वादी के मन में बदनियति आ जाने के कारण उसके द्वारा बनावटी तथा मनगडत तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खाजिर फरमाया जावें ।

20 मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है –

21 **तनकी नं.–1** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा ई.एक्स.पी.–1 जमाबन्दी का प्रदर्श करवाया गया है। ई.एक्स.पी.–1 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा प्रथम तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 5553/6123 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि मिश्रीलाल पिता हजारीमल लखारा साकिन आगुँचा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

22 **तनकी नं.–2** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा स्वतन्त्र गवाह पी.डब्लू.–3 रामलाल ब्राह्मण को पेश किया गया, पी.डब्लू–3 रामलाल ब्राह्मण ने अपने बयानों की चीफ में मिश्रीलाल का दिनांक 14.08.1988 को स्वर्गवास होना तथा इनके जाईन्दा सबसे बडा पुत्र वादी हीरालाल उससे छोटा प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल , सबसे छोटा रामपाल प्रतिवादी संख्या–2 व एक पुत्री कमला प्रतिवादी संख्या–3 होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या– 2 रामपाल प्रतिवादी संख्या– 2 कमला जो कि मृतक खातेदार मिश्रीलाल लखारा के पुत्र व पुत्री है उनके द्वारा भी अपने इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादी के वाद की पृष्टि की है। अतएव इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

23 **तनकी नं.–3** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा ई.एक्स.पी.–2, ई.एक्स.पी.–3, जमाबन्दीयों को प्रदर्श करवाया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स. पी.–2 जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 मौजा आगुँचा के अनुसार आराजी नम्बर– 5128, 5161 किता 2 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा भूमि जेठू पिता हजारी कौम लखारा साकिन देह के नाम दर्ज थी। जो जरिये नामान्तकरण संख्या– 3000 दिनांक 04.05.1993 विरासत से जेठू पिता हजारी के बजाय रामपाल पुत्र मिश्रीलाल मुतबन्ना जेठमल कौम लखारा के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा ई.एक्स.पी.–3 जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2048 मौजा आगुँचा के अनुसार आराजी नम्बर– 2350 2354 किता 2 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि मुस्मात भूरी बेवा छीतर , शिवनारायण पिता मोडा लखारा साकिन देह के नाम दर्ज थी। जो जरिये नामान्तकरण संख्या– 2079 विरासत से भूरी के बजाय गोपाल

Scanned by CamScanner

पिता मिश्रीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है , उक्त ई. एस.पी–2 एवं ई.एक्स.पी–3 राजस्व जमाबन्दीयों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल भूरी लखारा के तथा प्रतिवादी संख्या– 2 रामपाल जेठमल लखारा के गोद जाने से मृतक खातेदारों की विरासत से उनकी भूमि उनके गोदपुत्रों के नाम दर्ज हुई है। साथ ही प्रतिवादी संख्या– 2 रामपाल ने भी अपने जवाबदावा में प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल को भूरी पत्नि छीतर के गोद जाना स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या– 3 कमला ने भी इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद की पृष्टि की है तदनुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

24 **तनकी नं.– 4** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । वादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा प्रथम तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि के मिश्रीलाल पुत्र हजारी मल लखारा खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा खातेदारी मिश्रीलाल के हीरालाल, गोपाल, रामपाल पुत्र व कमला पुत्री होना भी प्रकट हुआ है। इनमें से गोपाल, भूरी लखारा के तथा रामपाल जेठमल लखारा के गोद चले जाने से अब मिश्रीलाल के हीरालाल व कमला विधिक वारिसान रहे है। ऐसी स्थिति में मिश्रीलाल के खातेदारी भूमि के लिये वादी हीरालाल व प्रतिवादी संख्या–3 कमला अपने नाम हक घोषणा करवाने के अधिकारी पाये जाने से इस तनकी का निणर्य वादी के पक्ष में किया जाता है ।

25 **तनकी नं.–5** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । चुँकि प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल लाल प्रतिवादी संख्या– 2 रामपाल गोद चले जाने से उनका मिश्रीलाल की सम्पति में से समस्त हक अधिकार समाप्त हो चूके है । उसके उपरान्त भी उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या– 3 के हक हिस्से की आराजी में दंखलन्दाजी करते है विरासत का नामान्तकरण खोलवाने में व्यवधान पैदा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो वह वादी व प्रतिवादी संख्या– 3 को उनके हक हकूक की आराजीयात से बेदखल कर देगें । जबरन अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लेगें, जिससे अनावश्यक मुकदमेंबाजी को बढावा मिलेगा, तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–3 को अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित रहकर उन्हें अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा, जिहाजा इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

26 **तनकी नं.–6 व 7** इन दोनों तनकीयों को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । तथा यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । इन दोनों तनकीयों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 3 व 4 में किया जा चूका है। पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है । लिहाजा इन दोनो तनकीयों का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

Scanned by CamScanner

27 **तनकी नं.–8** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या– 1 का कथन है कि वादी ने मिश्रीलाल की जायदाद को हडपने के लिये उक्त वादपत्र पेश किया है जबकि प्रतिवादी संख्या– 1 का राशनकार्ड, वोटरकार्ड, में गोपाल पुत्र मिश्रीलाल लिखा हुआ है। चुँकि राशनकार्ड, वोटरकार्ड के आधार पर किसी के कोई हक अधिकार न तो प्राप्त होते है और न ही समाप्त होते है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी ई.एक्स.पी.–3 व ई.एक्स.पी.–5 नामान्तरकण से यह पूर्णतया प्रकट है कि खातेदार भूरी की विरासत से भूरी के हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या– 1 गोपाल लाल के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या– 4 जो कि मृतक खातेदार भूरी पत्नि छीतर की जाईन्दा पुत्री है, उसने भी अपने जवाबदावा में प्रतिवादी संख्या– 1 गोपाल को भूरी के गोद जाना , गोपाल को छीतर के दतक पुत्र से जाना पहचाना, प्रतिवादी संख्या–1 गोपाल को अपना भाई मानना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादी–1 के कथन बनावटी व तथ्यहीन पाये जाने से इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

28 **तनकी नं.–9** इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादी के पक्ष में हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है तदनुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी डिकी किया जाकर मोजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा प्रथम तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 5553/6123 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि के लिये वादी हीरालाल व प्रतिवादी–3 कमला पिता मिश्रीलाल लखारा को खातेदार घोषित किया जाता है । तथा प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 5, 6, 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं दखलन्दाजी करने कराने से रुके रहे । तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगुँचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner